Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में राजकीय चिकित्सालय, गंगाशहर के लैब टैक्निशियन एवं ब्लड सैंपल संग्रहणकर्ता (प्राईवेट व्यक्ति) को 16 सौ रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा आज बुधवार को गंगाशहर, बीकानेर में कार्यवाही करते हुये रविन्द्र उपाध्याय लैब टैक्निशियन, राजकीय चिकित्सालय, गंगाशहर बीकानेर एवं दीपक गहलोत ब्लड सैंपल संग्रहणकर्ता, वी–केयर लैब गंगाशहर बीकानेर (प्राईवेट व्यक्ति) को 1600 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आर.टी.पी.सी.आर. कोरोना जाँच हेतु सैम्पल लेकर सरकारी जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की एवज में प्रति जाँच 800 रुपये के हिसाब से रविन्द्र उपाध्याय लैब टैक्निशियन, राजकीय चिकित्सालय, गंगाशहर बीकानेर एवं दीपक गहलोत ब्लड सैंपल संग्रहणकर्ता, वी–केयर लैब गंगाशहर बीकानेर द्वारा अवैध रूप से वसूल किये जा रहे हैं।

जिस पर एसीबी बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप कुमार खत्री एवं उनकी** टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये उक्त शिकायत पर ब्यूरो कार्मिकों को बोगस ग्राहक बनाया जाकर कोरोना की जाँच करवाई गई। जिसकी एवज में 1600 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रविन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री महादेव उपाध्याय निवासी ब्राह्मणों का मौहल्ला, वार्ड नं0 6, भीनासर, बीकानेर हाल लैब टैक्निशियन, राजकीय चिकित्सालय, गंगाशहर बीकानेर एवं दीपक गहलोत पुत्र श्री अशोक गहलोत निवासी बिग सिनेमा के पास, रानी बाजार, बीकानेर हाल ब्लड सैंपल संग्रहणकर्ता, वी–केयर लैब गंगाशहर बीकानेर (प्राईवेट व्यक्ति) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।